कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– राज्य
विपक्षी :– धन्ना
किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ.
पत्रावली संख्या : 109/16

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.02.2018 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में तलब की गई। राजपेरोकार व अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाही। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया हैं। प्रकरण में प्रार्थी राजपेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में विपक्षी के खातेदार होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं। जिसने उक्त भूमि को विपक्षी सं. 2 को जरिये विक्रय ईकरार विक्रय कर दी है। चूंकि विपक्षी सं. 2 अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं होकर अन्य पिछडा वर्ग का व्यक्ति हैं। अतः उक्त किया गया विक्रय हस्तान्तरण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अवैध हस्तान्तरण हैं। प्रार्थी राजपेरोकार द्वारा उक्त हस्तान्तरण को अवैध बताकर भूमि बिलानाम सरकार किया जाने का निवेदन किया हैं। विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि को अन्य को हस्तान्तरण करने पर आमादा होने से विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा बिकरणी की आराजी न. 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336 कुल किता 9 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। (जितेन्द्र ओझा) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	